[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 6/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/एक्सटैन्शन/राआनि)

नई दिल्ली, 28 जनवरी 2020

का.आ. (ई) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28(9) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय तालिका के स्तम्भ (3) मे उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ, जिनके लिए यथा उल्लेखित तालिका के स्तम्भ (4) मे उल्लेखित समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी पहले ही नियुक्त हो चुका है, तालिका के स्तंभ (2) मे उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में शुल्क अथवा ब्याज निर्धारण के प्रयोजनार्थ, एतद द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 की उप धारा (8) के तहत समायावधि प्रारम्भिक कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.01.2019 की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाते है:-

तालिका

क्र. सं.	**नोटिसियों का नाम एवं पता**	**कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(9)(b) के अंतर्गत)**	**समान न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त करने वाली अधिसूचना सं. और दिनांक**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	मैः आईबीएम इंडिया प्रा. लिं., सं. 12, सुबरमानया आरकेड, बैनराघट्टा रोड, बैंग्लोर.	फा. सं. DRI/BZU/ Enq-6/Int-1/2015 दिनांक 31.01.2019 (SCN No. SCN/DRI/ BZU/07/2019)	अधिसूचना सं. 5/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 27.02.2019

[फा. सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-5/2020-CI]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्द्यतन हेतु प्रेषित

1. **अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को इस निवेदन के साथ कि वो कारण बताओ नोटिस के नोटिसियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 की उप धारा (8) के अंतर्गत शुल्क अथवा ब्याज के निर्धारण हेतु महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा समायावधि को बढ़ाए जाने के बारे मे सूचित करें।**